संदर्भ सं. राबैं.पुनर्वित्त-नीति / 909 /आईएस-1/2022-23
परिपत्र सं. 203 /पुनर्वित्त- 69 /2022

08 सितंबर 2022
अध्यक्ष
सभी राज्य सहकारी बैंक

प्रिय महोदय

<u>वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान अंतरिम आधार पर अल्पावधि ऋणों पर ब्याज सहायता योजना जारी रखना</u>	**<u>Continuation of Modified Interest Subvention Scheme for Short Term Loans on interim basis during the year 2022-23 and 2023-24</u>**
कृपया वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान अल्पावधि फ़सल ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना पर हमारे (क) दिनांक 29 मार्च 2022 के परिपत्र संख्या 50 (संदर्भ सं राबैं.डोर –नीति / 1692 / आईएस-1/ 2021-22), एवं (ख) दिनांक 11 अप्रैल 2022 के परिपत्र संख्या 76 (संदर्भ सं राबैं.डोर –नीति / 51 / आईएस-1 / 2021-22) का संदर्भ ग्रहण करें।	Please refer to (i) our Circular No. 50 (Ref.No. NB.DoR-Policy/ 1692 /IS-1/ 2021-22) dated 29th March 2022, and (ii) our Circular No. 76 (Ref.No. NB.DoR-Policy/ 51 /IS-1/ 2021-22) dated 11 April 2022 on the Modified Interest Subvention Scheme for short term crop loans during 2021-22 and 2022-23.
2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 25 अगस्त 2022 के पत्र सं 1-4 / 2020-Credit-I द्वारा सलाह दी हैं कि, अगले निर्देश तक, ब्याज सहायता योजना को, परिवर्तनों के साथ, वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 मे किया जाएगा। तदनुसार, आपको निम्नानुसार सलाह दी जाती है: -	2. MoA&FW, GoI has now vide their letter No.F.No.1-4/2020-Credit-I dated 25th August 2022 advised that it has been decided to implement, until further instructions, the Interest Subvention Scheme for providing short term loans for agriculture and allied activities, with modifications, availed through KCC for FY 2022-23 and 2023-24. Accordingly, you are advised as under:-
क. आधार स्तर पर किसानों को दिए जाने वाले ₹3.00 लाख तक के (अधिकतम 2.00 लाख रु प्रति किसान तक के पशुपालन, मत्स्य पालन, डेरी एवं मधुमक्खी पालन गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण) अल्पावधि ऋणों (फ़सली ऋण और पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण) के लिए अपनी निजी निधियों का उपयोग करने	a. Interest Subvention of 1.5% p.a. will be available to State Cooperative Banks, on their own funds used for short term loans (crop loans and WC loans for animal husbandry, fisheries, dairy, bee keeping etc.) upto Rs.3.00 lakhs per

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित्त विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325• Fax: +91 22 26530090• E-mail: dor@nabard.org

वाले राज्य सहकारी बैंकों को 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध होगी बशर्ते ऋण दाता संस्थाएं 7% प्रति वर्ष की दर से आधार स्तर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराएं. फसल ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण की राशि पर 1.5% ब्याज सहायता की गणना अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन संवितरण/ आहरण तिथि से किसान द्वारा चुकौती की वास्तविक तिथि अथवा बैंक द्वारा निर्धारित भुगतान की विहित तिथि में जो भी पहले होगी, उस अवधि तक के लिए की जाएगी. **1.5% ब्याज सहायता वित्त वर्ष 2023-24 तक जारी रहेगा।**	farmer (subject to maximum of Rs 2.00 lakh per farmer for WC loans for AH&F, Dairy, beekeeping etc.) will be available provided the lending institutions make available short term credit to farmers @ 7% p.a. Interest subvention @1.5% will be calculated on the crop loans/WC loans amount from the date of its disbursement/drawal upto the date of actual repayment of the crop loans/ WC loans by the farmer or upto the due date of the loan fixed by the Banks, whichever is earlier, subject to a maximum period of one year. **1.5% Interest Subvention will be continued till FY 2023-24.**

Financial Year	Lending rate to the farmers	Rate for Interest Subvention
2022-23	7%	**1.5%**
2023-24	7%	**1.5%**

ख. समय पर फ़सली/कार्यशील पूंजी ऋणों की चुकौती करने वाले किसानों के लिए अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन संवितरण /आहरण तिथि से किसान द्वारा चुकौती की वास्तविक तिथि अथवा बैंक द्वारा निर्धारित भुगतान की विहित तिथि में से जो भी कम हो उस अवधि के लिए 3% की अतिरिक्त ब्याज सहायता उपलब्ध होगी. यह ब्याज सहायता किसानों को, अधिकतम 3 लाख रूपाय तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण पर और पशुपालन, मत्स्य पालन, डेरी, मधुमाखी पालन आदि के लिए कार्यशील पूंजी पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक उपलब्ध होगा। अर्थात् समय पर से ऋण की चुकौती करने वाले किसानों को वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण मिलेगा। फ़सली	b. An additional interest subvention @ 3% will be available to such of those farmers repaying on time i.e., from the date of disbursement of the short term loan upto the actual date of repayment by farmers or upto the due date fixed by the Bank for repayment of crop loans/WC loans, whichever is earlier, subject to a maximum period of one year from the date of disbursement. This subvention will be available to such farmers on the short term production credit up to a maximum amount of Rs.3 lakh and on WC for AH&F, bee keeping, dairy etc. up to a maximum amount of Rs.2 lakh. This also implies that the farmers, paying promptly, would get short term loans @

ऋण/ कार्यशील पूंजी ऋण लेने के एक वर्ष बाद चुकौती करने वाले किसानों को यह लाभ नहीं मिलेगा। **वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 तीनों में 3% की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता जारी रहेगी।**	4% p.a. during the year 2022-23 and 2023-24. This benefit would not accrue to those farmers who repay after one year of availing crop loans/ WC loans.**The additional interest subvention @ 3% will be continued in both FY 2022-23 and FY 2023-24.**
ग. किसान क्रेडिट कार्ड धारक-छोटे और सीमांत किसानों को गरजू बिक्री से रोकने और अपनी उपज भंडारागारों में रखने के लिए उन्हें बढ़ावा देने के प्रयोजन से भंडारागार विकास विनियामक प्रधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) द्वारा प्रमाणीकृत भंडारागारों में उपज भंडारित करने पर परक्राम्य भंडारागार रसीदों के समक्ष फसल लेने के बाद और 06 माह की अवधि के लिए उसी दर पर ब्याज सहायता दी जाएगी जिस दर पर फ़सल/ कार्यशील पूंजी ऋणों पर दी जाती है।	c. In order to discourage distress sale by farmers and to encourage them to store their produce in warehouses, the benefit of Interest Subvention will be available to small and marginal farmers having Kisan Credit Card for a further period of upto six months post-harvest of the crop on the produce stored in warehouses accredited with Warehousing Development Regulatory Authority (WDRA) against negotiable warehouse receipts, at the same rate as is available on crop loans/ WC loans.
घ. प्राकर्तिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने हेतु पुनःसंरचित राशि पर पहले वर्ष के लिए उपलब्ध उसी साल की ब्याज सहायता की सुविधा जारी रहेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार इस प्रकार के पुनःसंरचित ऋणों पर दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी।	d. To provide relief to farmers affected by natural calamities, the applicable rate of interest subvention for that year will be made available to Banks for the first year on the restructured loan amount. Such restructured loans will attract normal rate of interest from the second year onwards as per the extant policy laid down by the RBI.
ङ. हालांकि, गंभीर प्राकर्तिकआपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए, पुनःसंरचित ऋण राशि पर बैंकों को पहले तीन वर्षों / संपूर्ण अवधि (अधिकतम 5 वर्ष की अवधि) के लिए 2% की ब्याज सहायता उपलब्ध होगी। इसके अलावा,	e. However, to provide relief to farmers affected by severe natural calamities, an Interest subvention of that particular year will be available to Banks for the first three years/entire period (subject to maximum period of 5 years) on the restructured loan amount. Further, in all

ऐसे सभी मामलों में, प्रभावित किसानों को प्रति वर्ष @ 3% प्रति वर्ष का पुनर्भुगतान पर ब्याज प्रोत्साहन का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। हालांकि, गंभीर प्राकर्तिक आपदाओं के ऐसे मामलों का अनुदान, एक उच्च-स्तरीय समिति (HLC) द्वारा तय किया जाना जाएगा, जो अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (SC-NEC) की उप समिति की सिफारिश पर आधारित होगा।	such cases, the benefit of prompt repayment incentive @ 3% per annum shall also be provided to the affected farmers. **The grant of such benefit in cases of severe natural calamities shall, however, be decided by a High-Level Committee (HLC) based on the recommendation of Inter-Ministerial Central Team (IMCT) and Sub Committee of National Executive Committee (SC-NEC)**
3. इसके अलावा, हमारे दिनांक 13.03.2020 के परिपत्र संख्या -62 द्वारा, 01.04.2020 से वितरित अल्पावधि ऋणों पर ब्याज सहायता का लाभ उठाने के लिए केसीसी को अनिवार्य बनाया गया है।	3. Further, in terms of our circular No.62 dated 13.03.2020 KCC has been made mandatory for availing the benefit of Interest Subvention on short term loans disbursed from 01.04.2020.
4. बैंकों को योजना के तहत लाभार्थियों का श्रेणी-वार डेटा अनिवार्य रूप से बनाए रखने और, जब भी ज़रूरत हो, प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है क्यूंकी वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेखा परीक्षित दावों का निपटान करने के लिए व्यक्तिगत किसान वार की जानकारी को पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाना है। इसके अतिरिक्त, योजना वर्ष 2020-21 के लेखापरीक्षित दावों को 30 सितंबर 2022 तक प्रस्तुत किया जाना है।	4. Banks are advised to mandatorily maintain and furnish, as and when required, the category-wise data of beneficiaries under the scheme as the same has to be reported on ISS portal, individual farmer wise to settle audited claims from FY 2022-23 onwards. Further, the audited claims up to scheme year 2020-21 are to be furnished latest by 30th September 2022 to the GOI.
5. भारत सरकार की ब्याज सहायता योजना के तहत लाभ उठाने के लिए आधार लिंकिज को अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए बैंक द्वारा इस संबंध में डेटा बनाए रखा जाए। दावों के साथ हमेशा एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें कहा गया हो की सभी दावे आधार से जुड़े हुए हैं।	5. Aadhaar linkage has been made mandatory for availing benefit under ISS of GoI. Hence the data regarding the same may be maintained by the Bank. **The claims may be invariably accompanied by a certificate stating that all claims are adhaar linked.**

6. सभी ऋणदात्री संस्थाओं से अनुरोध है की वे कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण/केसीसी और एमाइएसएस (जब भी वे कोई जारी करें) से संभन्धित निर्देशों/ परिपत्रों की एक प्रति संयुक्त सचिव (क्रेडिट), कृषि और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली -110001, कृषि भवन को भेजें।	6. All StCBs are requested to send a copy of instructions/ circulars related to Short Term Loan for Agriculture and Allied activities/KCC and MISS (whenever they issue any) to Joint Secretary (Credit), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110001.

भवदीय

(विवेक कृष्ण सिन्हा)
मुख्य महाप्रबंधक